हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 10 अंक : 9 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 सितम्बर, 2019

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

नीट'' परीक्षा में ओ.बी.सी. आरक्षण नहीं है ?

हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया कि, नीट की 2019 की परीक्षा में ओ.बी.सी के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर जब तक निर्णय नही होता तब तक ये सीटें अनिर्णय की स्थिति में रहेंगी।

जयपुर, 28 अगस्त राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2019 में ओबीसी वर्ग में अभ्यार्थियों को सीट आवंटित करने के खिलाफ दायर मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इन सभी सीटों का ''स्टेटस'' रिट पर अदालत के निर्णय के अधीन रहेगा।

न्यायाधीश आलोक शर्मा ने यह आदेश जाह्नवी महेश्वरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने के लिए सीनियर अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद और उनके सहायक वकील शोभित तिवारी पेश हुए थे।

बहस के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि संविधान के 102 संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 342 ए जोड़ा गया है, जिसमें यह प्रावधान दिया गया है कि- केवल राष्ट्रपति द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर बनाई गई और हस्ताक्षरित लिस्ट ही सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए ओबीसी वर्ग की लिस्ट मानी जायेगी और केवल इस ''लिस्ट'' के अनुसार ही अभ्यार्थियों को आबीसी वर्ग की सीटें आवंटित की जा सकती है। यह संशोधन 15 अगस्त, 2018 को पारित हुआ था।

वहीं केन्द्र सरकार की ओर पैरवी कर रहे एडीशनल एडवोकेट जनरल (एएसजी) ने कहा कि नई लिस्ट की नोटिफिकेशन जारी नहीं भी हुआ है तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि ओबीसी अभ्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण से संबंधित मामले में भी इसी मद्दे पर बहस हुई थी तथा अनुच्छेद 342 (ए) के अंतर्गत कोई नया नोटिफिकेशन नही जारी किया गया है तो भी ओबीसी वर्ग के अभ्यार्थियों को आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने अदालत को बताया कि नीट यूजी एडमीशन की परीक्षा 31 अगस्त तक पूरी होनी है और मगर अदालत अब कोई अंतरिम आदेश देती है तो पूरे देश पर उसका असर पड़ेगा।

अदालत ने सभी तर्कों को सुनने के बाद मामले को रद्द करने से मना कर दिया और ओबीसी वर्ग में सीट आवंटन के मामले को रिट याचिका पर अपने अंतिम निर्णय के अधीन रखने के आदेश दिये है।

अध्यक्ष की कलम से

हम अमृत बन जहर पचाते

प्रिय साथियों,

भारतीय सांस्कृतिक मनीषा का जो निकष है उसमें ''चरैवेति-चरैवेति'' शब्द युग्म बार-बार सुनने को मिलता है। यह दुनियाँ के सभी दर्शनों से ऊपर सनातन धर्म दर्शन में जीवन के सातत्य को परिभाषित करता है।

गीता का कर्मयोग भी इसी की प्रतिध्वनि है और भगवान श्रीकृष्ण ने इस जीवन सातत्य को प्रमाणित करने के लिये ही अर्जुन को विश्वरूप के दर्शन करवाये थे।

इसी चरैवेति-चरैवेति को जाने-अनजाने अपना आदर्श बनाकर समता आन्दोलन ग्यारह सालों की यात्रा के बाद यहाँ तक पहुँचा है जहाँ भले ही कथित राजनैतिक जड़ता हमें स्वीकृति नहीं देती है लेकिन भीतर ही भीतर प्रतिष्ठा देकर हमारे संघर्षजनित सुझावों को मानती भी है।

इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि किसी के प्रति कोई विद्वेष अथवा बदले की भावना न रखकर केवल और केवल संवैधानिक शुचिता के लिए हम चट्टान की तरह अड़े हैं, खड़े हैं।

ये सब आसान नहीं है। हमें बार-बार उस लोक दृष्टांत का अनुभव हुआ है जिसमें एक सन्यासी नदी में बहते बिच्छु को बचाने के लिए जिनती बार हथेली पर रखता है उतनी ही बार वो डंक मारता है। आज हम सन्यासी तो नहीं लेकिन यदि कर्मयोग सिद्धांत है तो उसका कुछ तो पालन हम भी कर रहे हैं। भले ही अनेक बार जहर के घूट पीने का अनुभव हमें लेना पड़ा हो। ठीक ऐसा ही अनुभव हमें हाल ही हुआ है। एक जज ने बिना किसी उचित कारण के समता आन्दोलन का नाम स्वीकृत रिट में से हटा दिया। इससे बड़ा और जघन्य संवैधानिक मैलेपन का दृष्टांत बनाते उस विद्वान जज ने दूसरी चार रिटों में से भी, बिना सूचना दिये समता आन्दोलन का नाम हटा दिया।

हमने इसके अलावा भी ये जहर का घूंट पिया है कि हमारी रिटों पर ऐसे निर्णय दिये गये कि उन्हे पढ़कर महाभारत युद्ध का ''नरो वा कुंजरो'' का दृष्टांत याद आ गया। यह सब इसलिए मन को आहत करता है कि वे जो देश में संवैधानिक शुचिता के लिए काम कर रहे हैं उन्हें प्रताडित करने वालों को कथित राजनेता गोद में लेकर दुलराते हैं। फिर भी हम चरैवेति चरैवेति को आदर्श मानकर चल रहे हैं। सभी पाठक ओर सदस्य जानते और समझते हैं कि समता आन्दोलन ने ''मिशन-59'' के नाम से जो बड़ा और सार्थक प्रयोग किया था वैसा देश की बड़ी और समर्थ पार्टियाँ सोच भी नहीं सकतीं।

हम इस तरह के दवाबों का भी सामना करते हैं कि पीड़ित व्यक्ति रिलिफ तो चाहता है लेकिन अपने विभागाध्यक्ष का एक आवेदन देने तक को तैयार नहीं होता।

फिर भी हमारा सौभाग्य है कि हमारी कर्मशीलता को न केवल सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों का समर्थन और सहयोग मिला है वरन् जनसामान्य तक यह संदेश जा चुका है कि जाति आधारित आरक्षण को देश के वास्तविक पिछड़ों तक पहुँचाने के लिये समता आन्दोलन ने जो किया है वो दूसरा कोई भी नहीं कर सका है। यही हमारे लिये सुख और संतोष का विषय है।

देश इन दिनों व्यवस्था और अराजकता के बीच से गुजर रहा है। सपनों और सच्चाई के बीच जनमानस असमंजस में खड़ा है। हम अपने सीमित साधनों के बाबजूद उन्नत संकल्पों को लेकर आगे बढ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे।

संघ सर कार्यवाह होसबोले ने कहा

'जब तक जरूरत, तब तक लागू रहे आरक्षण'

पुष्कर जयपुर- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्पष्ट किया है कि वे आरक्षण के खिलाफनहीं है। जब तक आरक्षण की जरूरत है, तब तक आरक्षण लागू रहे। वर्तमान में संविधान सम्मत आरक्षण की जरूरत है।

पुष्कर में संघ की तीन दिवसीय राष्ट्रीय समन्वय बैठक संपन्न होने के बाद संघ सर कार्यवाह दतात्रेय होसबोले ने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बैठक में राष्ट्रीयता, हिन्दुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर चर्चा हुई। गुलामी के कारण जो दोष आए, उनको दूर करने के लिए काम कर रहे हैं।

अनुच्छेद 370 हटाने को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए होसबोले ने कहा, संघ कई साल से एक राष्ट्र, एक संविधान, एक निशान की मांग करता रहा है। कश्मीर और लद्दाख में संघ की ओर से किए जा रहे सेवा कार्यों ने वहां राष्ट्रभाव को मजबूत किया है। पूर्ववर्ती सरकारें तो कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थीं। यहां तो जनता के हित में फैसले किए गए है।

तो चुनकर नहीं आती-

उन्होंने केन्द्र सरकार के अब तक के कार्यकाल को भी संतोषजनक बताते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार दोबारा चुनकर नहीं आती ।

आरक्षण आगे जारी रखने पर संसद में बहस की जाये

हिन्दू महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल आरक्षण के विषय में लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेगा।

अमृतसर। 9 सितम्बर। अखिल भारत हिन्दू महासभा ने मांग की है कि भविष्य में आरक्षण को लागू करने या न करने के संबंध में संसद में बहस करवानी चाहिए।

हिन्दू महासभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष एडवोकेट गगन भाटिया और पंजाब के महासचिव राजविंदर राजा ने आज यहां जारी बयान में कहा कि इस मामले को लेकर अखिल भारत हिन्दू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यश्री चौधरी के दिशा निर्देशों पर एक छह सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल लोकसभा के अध्यक्ष ओमबिरला से मुलाकात करेगा। इस विषय को लेकर महासभा ने लोक सभा स्पीकर को पत्र भी भेज दिया है। उन्होने कहा कि आरएसएस और भाजपा देश में आरक्षण को खत्म करने कि लिए तर्क देती रही है। आज भाजपा के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है। इसलिए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को भी भाजपा पर दबाव बना बर संसद में आरक्षण के मुद्दे पर बहस करवानी चाहिए। उन्होंनं कहा कि अखिल भारत हिन्दू महासभा शुरू से ही देश के अंदर जाति के आधार पर देश के हिन्दू समाज को बांटने की साजिशों का विरोध करती है। चुनावों से पहले भी भाजपा के नेता आरक्षण को खत्म करने के लिए देश की जनता से वायदे करते रहे है। अब वर्ष 2020 में आरक्षण की समय सीमा खत्म होने वाली है।

दोनों नेताओं ने कहा कि जाति आधारित आरक्षण को कुछ शक्तियां दोबारा आगे बढ़ा कर देश के लोगों को जातियों में बांटने की साजिश में लगे हुए है ताकि देश की हिन्दू शक्ति को कमजोर किया जा सके। हिन्दू महासभा शुरू से ही जाति प्रथा को खत्म करने के लिए आवाज उठाती रही है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके है।

सम्पादकीय

लोकतंत्र बनाम नकार

लोक तंत्र क्या है और कैसे काम करता है इस विषय पर दुनिया में भारत ही अधिकार पूर्वक बोल सकता है। कारण ये कि यही वो भूमि है जहॉ गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था हुआ करती थी। हालांकि उस कालखण्ड (चन्द्रगुप्त-सम्राट अशोक) में संविधान नाम की कोई वस्तु नहीं थी। राजा के मुख से निकला शब्द ही अंतिम हुआ करता था। फिर भी जनता के समूह अधिकार ही नहीं व्यक्तिगत अधिकार भी सुरक्षित रहा करते थे। जब से आधुनिक दुनिया में अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र सम्बन्धी व्याख्या लागू हुई है तब से संविधान लागू हुआ और यह संविधान भी न्याय व्यवस्था के प्रति जवाबदेह बनाया गया है।

विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रैस के रूप में चार स्तम्भों को मान्यता दी गई ताकि लोकरूपी भवन या जनमानस सुख से रह सके। दुनिया के हर देश में इन चार स्तम्भों का होना वर्तमान में ''सभ्यता'' की परिभाषा है। हालांकि चीन जैसे एकल पार्टी शासन वाले देश भी है जहॉ विरोध के स्वरों की गुंजाईश नहीं है। फिर भी वो देश अपने को लोकतंत्रात्मक कहलाना चाहता है। कुछ या बहुत कुछ ऐसा ही उन देशों में भी है जहॉ सैनिक शासन है या रहा है।

बावजूद सब बातों के लोकतंत्र की सारी शक्ति उसकी न्यायपालिका में केन्द्रित रहती है। भारत में भी ऐसा ही रहा है। लेकिन अब भी सब कुछ वैसा ही है ऐसा कहने से पहले भीतर कहीं मंथन होता है और माथे पर सलवटें आजाती हैं। ये तो स्पष्ट है कि भारत आस्थाओं का देश है। इसके भी आगे यहॉ की धरती सनातन धर्म के सिद्धान्तों कों कभी इतनी गंभीरता से मानती थी कि साधारणत: सार्वजनिक जीवन में शास्त्रीय नैतिकता ही संविधान हुआ करती थी। आज जबकि तीन माह की फूल जैसी बच्ची से आठ साल तक की बच्चियॉ दरिंदगी का शिकार होती है तब करोड़ों लोग नैतिकता को छोड़कर कानून की बात करने लगते है।

वैसे विधि और न्याय व्यवस्था भी एक प्रकार की नैतिकता ही है। बस कुछ नैतिकताओं को लेखनीबद्ध करके उसे पुस्तक का रूप दे दिया गया है। ऐसा ही एक प्रयास हजारों साल पहले अश्वाकु वंशीय सम्राट महाराज मनु ने किया था जो आज तक मनुस्मृति के नाम से जगप्रसिद्ध है। और यही मनुस्मृति दुनियां के सारे सारे संविधानों का बीज है।

अनैतिक और मतिभ्रष्ट लोगों के लिए न्याय एक पवित्र नैतिकता नहीं अपितु यांत्रिक व्यवस्था मात्र होता है। पिछले कुछ सालों से ऐसा स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। हमारे देखते-देखते सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पत्थर पर लकीर हुआ करती थी और हाईकोर्ट के निर्णय सरकारें बदल दिया करते थे। आज हालात ये है कि न्यायपालिका के किसी भी निर्णय को लागू नहीं करने की तरीके ढूंढे जाते है। विधायिका नये कानून बनाते समय इतनी उतावली में रहती है कि उस कानून का लोक और मर्यादाओं पर क्या असर होगा इस पर विचार तब किया जाता है जब वो बनकर जनता को कुचलने के हथियार में बदल जाता है।

विपक्ष के सम्पूर्ण वैधानिक अभाव में लोकतंत्र किस प्रकार जनता का जनता के लिए शासन रह पाता है? ये जिज्ञासा अब किसी नेता अथवा विद्वान के मन में पैदा नहीं होती है। विषय चाहे आतंक का हो, जाति आधारित आरक्षण, नागरिक स्वतंत्रता या फिर सरकार नामक तंत्र के संचालन का। हर जगह न्याय के प्रति एक उपेक्षा ही नहीं वरन नकार की स्थिति दिखाई देती है। यह नकार गांधी के शब्दों में हिंसा है। उसी गांधी की 150वीं जंयति मनाने के लिए देश उत्साहित है। लेकिन सच में क्या वातावरण गांधी को गांधी के रूप में याद करने का बचा है??

जय समता। **- योगेश्वर झाड़सरिया**

आरक्षण सीमा बेमतलब हो गई !

राष्ट्र-राज्य: आरक्षण के मामले में लग रहा है कि देश नब्बे के दशक में चला गया है। आरक्षण से ही सबकुछ।

राज्यों से इतर केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10 फीसदी का आरक्षण दे दिया है, जिससे आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा का उल्लंघन हुआ है। सवाल है कि जिस तरह केंद्र सरकार और सारे राज्य आरक्षण की सीमा बढ़ा रहे है; उसमें मेरिट के लिए कहां जगह बचती है और दुसरे सुप्रीम कोर्ट की लगाई सीमा क्या मतलब रह गया ?

छत्तीसगढ सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने अन्य पिछडी जातियों को मिलने वाले आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ा कर 27 फीसदी कर दिया है। अनुसूचित जातियों को मिलने वाले 12 फीसदी आरक्षण को बढ़ा कर 13 फीसदी कर दिया गया है। आदिवासी बहुल इस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए 32 फीसदी आरक्षण का प्रावधान पहले से है। इस तरह राज्य में कुल आरक्षण 72 फीसदी हो गया है। तमिलनाडु में पहले से 69 फीसदी आरक्षण की सीमा लागू है। आंध्र प्रदेश की सरकार आरक्षण की सीमा को 55 फीसदी करना चाहती है और तेलांगाना ने इसे बढ़ा कर 62 फीसदी करने का फैसला किया है।

महाराष्ट्र में सरकार ने 16 फीसदी मराठा आरक्षण लागू किया है, जिससे वहां का कुल आरक्षण बढ़ कर 65 फीसदी हो जाएगा। यह मामला, सुप्रीम कोर्ट में है। पर हाईकोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि सरकार को इसे 12-13 फीसदी रखने का निर्देश दिया है। कर्नाटक में पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे मुख्य मुद्दा आरक्षण का था और कांग्रेस के तब के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसे बढ़ा कर 70 फीसदी करने का वादा किया था। कई और राज्य आरक्षण की सीमा बढ़ाने की तैयारी में है या बढ़ा चुके हैं।

राज्यों से इतर केंन्द्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10 फीसदी का आरक्षण दे दिया है, जिससे आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा का उल्लंघन हुआ है। सवाल है कि जिस तरह केंन्द्र सरकार और सारे राज्य आरक्षण की सीमा बढ़ा रहे है; उसमें मेरिट के लिए कहां जगह बचती है और दुसरे सुप्रीम कोर्ट की लगाई सीमा क्या मतलब रह गया ?

सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में भारत सरकार बनाम इंदिरा साहनी केस की सुनवाई के दौरान यह सीमा लगाई थी और कहा था कि आरक्षण किसी हाल में 50 फीसदी से ज्यादा नही होना चाहिए।

इससे कुछ दिन पहले ही केंन्द्र सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की थी, जिसमें अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का प्रावधान था। यह आयोग 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था ओर इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी। पर 1980 से 1989 तक की कांग्रेस सरकारों ने इसे लागू नहीं किया। 1989 में बनी जनता दल सरकार के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अपने राजनीतिक कारणों से 1990 में इसे लागू कर दिया। तब यह कहा गया था कि देश में कुल 52 फीसदी ओबीसी आबादी है इसलिए उसे उसी अनुपात में आरक्षण दिया जाए।

तभी सुप्रीम कोर्ट ने सीमा तय की और यह सुनिश्चित किया गया कि ओबीसी को 27 फीसदी, एससी को 15 फीसदी और एसटी को साढ़े सात फीसदी आरक्षण मिलेगा। इस तरह आरक्षण की सीमा 49.5 फीसदी तय की गई।

तब तमिलनाडु ने आरक्षण की सीमा 69 फीसदी रखी थी और इसे बचाए रखने के लिए उसने 1993 में एक नया कानून बनाया, जिसे संविधान की नौंवी अनुसूची में डाल दिया गया ताकि उसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। पर अब तमिलनाडु अपवाद नहीं है और राज्यों अपने आरक्षण कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची का सहारा भी नहीं ले रहे हैं और न उच्च अदालतें खुद संज्ञान लेकर पूछ रही हैं कि आखिर कैसे आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है।

आरक्षण को हिसाब से देखें तो ऐसा लग रहा है कि देश नब्बे के दशक में चला गया है, जब हर तरफआरक्षण का शोर सुनाई देता था। अब भी वैसा हो रहा है। हरियाणा में जाट आरक्षण का आंदोलन सुलग रहा है तो महाराष्ट्र में मराठों को शांत करने के लिए राज्य सरकार ने 16 फीसदी आरक्षण दिया। केंन्द्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछडे सवर्णों को आरक्षण दिया तो आंध्र प्रदेश में कापू आरक्षण का आंदोलन चला है।

विडंबना यह है कि एक तरफ आरक्षण बढ़ाया जा रहा है तो दूसरी और सरकारी नौकरियों की संख्या घट रही है और सरकारी शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। तभी आरक्षण के चैंपियन नेताओं ने निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग शुरू कर दी है। निजी क्षेत्र के उद्यमी हालांकि अपने यहां विविधता को बढ़ावा देने की बात कर रहे है पर वे मोटे तौर पर अभी तक मेरिट को ही तरजीह दे रहे हैं।

केंन्द्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भाजपा समर्थकों में और सोशल मीडिया में यह प्रचार था कि अब आरक्षण पूरी तरह से खत्म होगा। पर इसका उलटा हुआ है। पांच साल में आरक्षण सबसे अहम राजनीतिक मुद्दा बना है।

खुद मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण दिया है। कई भाजपा शासित राज्यों में सरकारों ने आरक्षण के नियमों में फेरबदल किया है और नए समूहों को आरक्षण देकर इसकी सीमा बढ़ाई है।

तभी प्रत्यक्ष रूप से तो दिख रहा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ रही है। पर दूसरी ओर केंन्द्र सरकार उच्च पदों पर नियुक्ति के ऐसे नियम बना रही है, जिससे ज्यादातर नियुक्तियां बिना आरक्षण के होंगी। हाल के दिनों में विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के ऐसे ही नियमों को लेकर विरोध हुआ था तो सरकार के उच्च पदों- निदेशक से लेकर संयुक्त सचिव तक के स्तर पर सीधे निजी क्षेत्र के अनुभवी लोगों को बहाल करने का नियम बना है।

ये दोनों चीजें विरोधाभासी है। आम लोगों की नजर में आरक्षण की सीमा बढ़ रही है। तो दूसरी ओर वास्तविकता में कम शीर्ष पदों पर आरक्षण की अवधारणा को ही खत्म किया जा रहा है।

- अजीत कुमार -

पौराणिक कथन : 'उत्कल''

उड़ीसा प्रदेश का प्राचीन नाम। इसे पौराणिक राजा सुद्युम्न के पुत्र उत्कल ने बसाया था।

जन गण मन को धता बताकर,
जो मनमानी को गाते हैं।
हैं भारत मॉ के लाल नहीं,
वो औरस जन कहलाते हैं।।

कविता

"चोट देश को तेज लगी है"

जात-जात
पाँत-पाँत
खेले मिल
घात-घात
संविधान पर कब्जा करके,
गुंडाई का पंजा धरके,
दिखलाते अपनी औकात....।
ठाठ-ठाठ
बाँट-बाँट
काट-काट
साथ-साथ
दंगल करके धमकाते हैं,
बाहूबल को आजमाते हैं,
नहीं माने वो सच की बात....।
घाट-घाट
हाट-हाट
टाट-टाट
गाँठ-गाँठ
सब डरते उनके मुँह लगते,
वे लम्पट हैं कभी न डरते,
मिले उन्हें सारी सौगात....।
जात-जात
पाँत-पाँत
खेले मिल
घात-घात
संविधान पर कब्जा करके,
गुंडाई का पंजा धरके,
दिखलाते अपनी औकात....।।

- प्रदीप सिंह राठौड़-

एमबीसी को 5 प्रतिशत कोटा

1025 अतिरिक्त पद सृजित करने की मुख्यमंत्री की मंजूरी

जयपुर। राज्य में प्रक्रियाधीन भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1025 अतिरिक्त पद सृजित करने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक विभाग ने 17 विभागों में अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। इन विभागों में 31 प्रकार के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएँ हो चुकी है। जिन विभागों में अतिरिक्त पदों का सृजन हुआ है, उन्हें भविष्य में निकलने वाली भर्तियों में रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा। उर्जा विभाग में हैल्पर-2 के 94 पदों में से 15 पद आगामी वर्षों के रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित किये जायेगे एवं 79 पद अतिरक्त सृजित होगे।

भरती पर एक व्याख्यान

गतांग से आगे:-

ऐसा प्रतीत होता है कि इन न्यायाधीशों को भरती तथा मूल्यांकन करनेवालों की पथभ्रष्टता पर बिलकुल भी संदेश नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है-''यह सामान्य ज्ञान की बात है कि दलितों और जनजतियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए दलित और जनजातिय अभ्यार्थियों का चयन नहीं किया जा रहा है, जबकि नियुक्ति/पदोन्नति के लिए योग्य अभ्यर्थी मौजूद हैं-इस उद्देश्य से कि अग्रसारित रिक्तियाँ या तो 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएँ या फिर चयन-प्रक्रिया तीन वर्षों के बाद तक पहुँच जाए और सरकार आरक्षित रिक्तियों करे अनारक्षित कद दे....।''

तो बात यह है कि-

* (हमारी)व्यवस्था में ही गुणवत्ता नहीं है।
* योग्यता-कुशलता-गुणवत्ता की धारणा 'विशुद्ध आर्यवादी मन की उपज है', उच्च जातियों के एकाधिकार को बनाए रखने का एक माध्यम है।
* योग्यता-कुशलता-गुणवत्ता का मूल्यांकन करने की पद्धति पूरी तरह से पथभ्रष्ट, अप्रासंगिक एवं अनुपयुक्त है।
* मूल्यांकन करनेवाले अधिकारी पूर्वापेक्षा से ग्रस्त हैं। वे अपने ईमानदार अधीनस्थों को बाहर करना चाहते है, जिन्हें वे पसंद नहीं करते और जो उनके गलत कार्य में उनका सहयोग नहीं करते।

जब ऐसी बात है तो कोई योग्य या कुशल बने ही क्यों ? इन परिस्थितियों में योग्य या कुशल बनने का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था का कुशल अंग बनना है, जिसे वास्तव में उखाड़ फेंकने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हमें कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था की गुलामी क्यों की जाए, जो हमारा और हमारे सगे-संबंधियों का ही शोषण करे?

भरती पर एक व्याख्यान

भरती अथवा आरंभिक नियुक्ति और पदोन्नति-दोनों ही मामलों में आरक्षण के लाभार्थियों को छूटें दी गई हैं- और इसके पक्ष में तर्क के रूप में कहानी बनाई गई है कि इससे प्रशासन की गुणवत्ता-कुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक संसदीय समिति ने इन छूटों की सूची बनाई है।

आरक्षण के लाभार्थियों के मामले में आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जानी है अनुभव की शर्तों में ढ़ील दी जानी है।

सीधी भरती के लिए निर्धारित अर्हता स्तर में ढील दी जाएगी। गैर-चयन पद्धति द्वारा दी जानेवाली पदोन्नति के संदर्भ में यदि अभ्यार्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अर्ह अभ्यार्थियों को लिया जा सकता है।

जब ऐसी बात है तो कोई योग्य या कुशल बने ही क्यों ? इन परिस्थितियों में योग्य या कुशल बनने का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था का कुशल अंग बनना है, जिसे वास्तव में उखाड़ फेंकने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हमें कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था की गुलामी क्यों की जाए, जो हमारा और हमारे सगे-संबंधियों का ही शोषण करे ?

चयन-पद्धति द्वारा दी जानेवाली पदोन्नति के संदर्भ में, ''सामान्य विचार क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों की कमी को पूरा करने के लिए सामान्य विचार क्षेत्र को पदोन्नति द्वारा भरी जानेवाली कुल पस्तावित रिक्तियों की संख्या का पाँच गुना विस्तृत कर दिया जाता है।''

सीधी भरती के मामले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए अलग से साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं, ताकि गैर-आरक्षण प्राप्त अभ्यार्थियों की योग्यता का उनके (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यार्थियों के) मूल्यांकन पर कोई प्रभाव न पड़े।

जहाँ पदोन्नति के लिए विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं, वहाँ आरक्षण-प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में न्यूनतम अर्हता अंक में कमी की जाएगी।

जहाँ पदोन्नति के लिए योग्यता परीक्षा का प्रावधान है, वहाँ आरक्षण-प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में छूट दी जाएगी। प्रावधान यह है कि ''सामान्य अर्हता स्तर पर न पहुँच पानेवाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को पदोन्नति देने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते वे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त न हों।''

यह तो मानक अथवा वास्तविक सूची है। राजनीतिक वर्ग को यदि कहीं लगता है कि किसी संगठित और प्रभावशाली जातीय समुदाय को खुश करने के लिए इन शर्तों में छूट देनी जरूरी है तो अतिरिक्त ढ़ील भी दे दी जाती है। पदोन्ति के लिए अर्हता अंक अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकारियों के मामले में 40 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि अन्य सामान्य श्रेणी के अधिकारियों के मामले में यह 60 प्रतिशत है। बाद में और भी ढील देने की माँग की गई तो एक नई योजना शुरू हुई- 'असफल अभ्यार्थियों में से सबसे अच्छा' योजना। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई आरक्षण-प्राप्त जाति का अभ्यार्थी 20 प्रतिशत अंक भी प्राप्त कर लेता है तो उसका चयन किया जा सकता है। हाँ, इसमें नाम मात्र के लिए एक शर्त जरूर रखी गई थी और वह शर्त इस प्रकार थी- चयनित अधिकारी को पद पर रहते हुए छह माह का व्याहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा; सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद उसकी पदोन्नति स्थायी कर दी जाएगी। आरक्षण-प्राप्त अभ्यार्थियों को यह अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, भले ही चयन-प्रक्रिया में शामिल होने से पहले उन्होंने तैयारी के लिए कोचिंग आदि का सहारा लिया हो।

खैर, इस मानक सूची को ही लेते हैं। वर्तमान कानून यह कहता है कि आरक्षण-प्राप्त अभ्यार्थी को पदोन्नत किया जाना चाहिए, ''बशर्ते वह पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त न पाया जाए।'' यानी जब तक कोई यह साफ-साफ लिखकर नहीं देता कि अमुक व्यक्ति पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया गया, तब तक वह पदोन्नति का हकदार है। लेकिन आज के समय में ऐसा कौन लिखकर दे रहा है ? ऐसा करनेवाले को ही अयोग्य बता दिया जाएगा, उसे पहले यह सिद्ध करना होगा कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति विरोधी नहीं है।

'अनुभव में छूट','अर्हता-स्तर में ढील','अर्हता अंकों में छूट','अर्हता परीक्षा में छूट','मूल्यांकन मानदंडों में छूट'-इन शब्दों से ही साफ हो जाता है कि छूट के कारण प्रशासन की कुशलता या गुणवत्ता का स्तर गिर जाएगा।

अनुच्छेद 335 का प्रावधान देखें; सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों को देखें, जिसमें उससे कहा है कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत दी जानेवाली छूटें अनुच्छेद 335 में रखी गई शर्तों के अनुरूप ही होनी चाहिए; सर्वोच्च न्यायालय के ही उन निर्णयों को देखें, जिनमें उसने स्वयं ही कहा है कि प्रशासन की कुशलता सर्वोपरि है-इनके आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि इस प्रकार की छूटें स्वीकार्य नहीं है।

इंद्रा सहानी बनाम भारत सरकार मामले में नौ न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सन् 1992 में यह निर्देश दिया था।

सन् 1996 में एस. विनोद कुमार बनाम भारत संघ मामले में दो न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने इस निर्देश को पुन: दोहराया। इस खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पदोन्नति में आरक्षण के मामले में दिया जानेवाला पाँच वर्ष का संरक्षण इन छूटों के संदर्भ में लागू नहीं होगा।

इसके तीन वर्ष बाद सन् 1999 में अजीत कुमार बनाम पंजाब राज्य मामले में पाँच न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने पुन: दोहराया कि इस प्रकार की छूटें नियमत: स्वीकार्य नहीं है। इसके विपरीत, खंडपीठ ने कहा था, ''संवैधानिक प्रावधानों का आशय कुछ इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि सभी सेवारतों (कर्मचारियों- अधिकारियों)-आरक्षण श्रेणी सहित-में प्रतियोगिता की भावना विकसित हो।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

उत्तराखंड में आरक्षण पर सरकार में रार, मंत्री की इस्तीफे की धमकी

टकराव-आरक्षण खत्म होने के अंदेशे से एकजुट हुए आरक्षित वर्गों के जनप्रतिनिधि

राज्य ब्यूरो, देहरादून:-

सरकारी सेवाओं में पदोन्नति पर पहले रोक लगाने और फिर सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती को लेकर आरक्षण का नया रोस्टर जारी होने के बाद उत्तराखंड सरकार के भीतर रार बढ़ गई है। सरकार के इस कदम से खफा परिवहन व समाज कल्याण मंत्री और आरक्षण का नया रोस्टर तय करने को गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष रहे यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष इस्तीफे की पेशकश कर डाली।

काबीना मंत्री आर्य और सत्तापक्ष के आरक्षित वर्गों के विधायकों के रूख से गर्मा रही अंदरूनी सियासत को भांपकर सरकार ने नाराज सहयोगियों को साधने की कसरत तेज कर दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के रोस्टर का परीक्षण करने को कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाएगी। सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि पदोन्नतियों में लगी रोक को शीघ्र खोला जाएगा।

पदोन्नति में आरक्षण का मसला सरकार के गले की फांस बन गया है। इस मामले से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बीच बीते रोज सरकार ने आदेश जारी कर सरकारी सेवाओं के सभी संवर्गों में पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित कर दी।

पदोन्नति में आरक्षण मामले में मंत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फैसला लेंगे। पदोन्नति पर रोक लंबे समय तक जारी नहीं रहेगी। इस मामले में सरकार जल्द निर्णय करेगी।

त्रिवेंद्र सिंह रावत,
मुख्यमंत्री उत्तराखंड

आरक्षण मामले में आरक्षित वर्ग को न्यायोचित हक मिलना चाहिए, संविधान की मूल भावना भी यही है। मामले को समाज के अन्य तबकों के खिलाफ या समर्थन के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए।

यशपाल आर्य,
काबीना मंत्री उत्तराखंड

साथ ही सरकार ने प्रदेश के लिए निर्धारित आरक्षण का नया रोस्टर भी जारी कर दिया।

:आर्य ने यूं जताया विरोध:

आरक्षण के नए रोस्टर में सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए पहला पद खिसककर छठे स्थान पर चला गया। आरक्षित वर्गों के कार्मिकों के संगठन ने इसका विरोध किया। उन्होंने आरक्षित वर्गों के विधायकों के साथ ही समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य के समक्ष भी विरोध जताया। इसके बाद यशपाल आर्य ने कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी नहीं करने के संबंध में सरकार और कार्मिक को पत्र लिखा। सूत्रों के मुताबिक, सरकार की ओर से उक्त मामले को दोबारा कैबिनेट सब कमेटी को सौंपने का भरोसा काबीना मंत्री आर्य को दिया गया। बीती 11 सितंबर को कैबिनेट के एजेंडे में इस विषय के शामिल नहीं होने और नए आरक्षण रोस्टर के आदेश ने आर्य की नाराजगी को बढ़ा दिया।

:डेढ़ माह जारी रही मशक्कत:

बता दें कि बीती 24 जुलाई को मंत्रिमंडल ने नया आरक्षण रोस्टर तय करने को मंजूरी दी थी। इसके लिए काबीना मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में कैबिनेट सबकमेटी गठित की गई। सबकमेटी ने बीती 13 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट को बुधवार को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया।

समता कोर कमेटी के निर्णय

जयपुर। विगत सप्ताह जयपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय में समता आन्दोलन कोर कतेटी की विशेष बैठक हुई। अध्यक्ष पाराशर नारायण ने सभी का स्वागत करते हुए एजेंडा विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार-विमर्श के बाद निर्णय हुआ कि सन् 2009 से हाईकोर्ट में पड़ी पालिटिकल रिजर्वेशन को समाप्त करवाने की रिट को सुप्रीम में ट्रांसफर करवाने का पुरजोर प्रयास किया जावेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अलग से विचार उचित रहेगा। हाल फिलहाल समता आन्दोलन को ओ.बी.सी के मामले पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करना जरूरी है। यह भी निर्णय हुआ कि आरक्षण के संदर्भ में आर्टिकल 15 व 16 पर विशेष ध्यान देकर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण से जातीय आधार हटवाने का प्रयास किया जाये।

निकट भविष्य में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। इसी बात को ओ.बीसी. संदर्भ से जोड़कर निर्णय हुआ कि वार्डों की लॉटरी के बाद जो ओ.बी.सी के वार्ड आयेंगे वहाँ से पिटीशनर्स तैयार करके यहा पी.आई.एल लगाई जायेगी कि देश में आज ओ.बी.सी का आरक्षण नहीं है अत: इन वार्डों में ओ.बी.सी का आरक्षण स्टे किया जावे।

एम. नागराज का संवैधानिक निर्णय अभी तक लागू नहीं हुआ है इसे लागू करवाने के लिये रिट लगाई जावे। इस निर्णय के रीविजिट होने से सब गड्डमड्ड हो गया है। अत: इसमें से बैकवर्डनैस की शर्त को हटवाने का प्रयास रहेगा।

संक्षिप्त विचार विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि सन् 2020 के अगस्त महीने में एक लाख लोगों की रैली का आयोजन दिल्ली में समता आन्दोलन द्वारा किया जावे। इसके लिये दिल्ली में अलग से एक कार्यालय खोलना होगा। इसके साथ ही यह आम सहमति बनी कि यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री परमोशन में आरक्षण विषय पर तथ्यपरक निर्णय करते हैं तो उन्हें एक लाख लोगों की उपस्थिति में सम्मानित करने का प्रस्ताव अभी भी वहीं का वहीं है। अत: उन्हें हर महीने रिमाईन्डर भेजना शुरू किये जाने का निर्णय हुआ। साथ ही ई.डब्ल्यू.एस. के मामले बनी उलझाव की स्थिति पर भी चर्चा हुई।

बैठक में अध्यक्ष ने प्रस्ताव किया कि समता आन्दोलन की पहचान अभी भी ''प्रमोशन में आरक्षण'' के दायरे तक सीमित है। इससे बाहर आने का हर संभव प्रयास किया जावे। इसी दौरान एक विशेष प्रस्ताव पर चर्चा हुई कि एस सी/एस टी के लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से यू ट्यूब पर कई चैनल अलग-2 नामों से चलाकर अनावश्यक विष वमन किया जा रहा है। आई बी की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल दस्तक नामक चैनल के तो 32 लाख फालोअर्स बताये जा रहे हैं। इस विषवमन के विरोध में यू ट्यूब पर समता आन्दोलन विधिवत चैनल शुरू करेगा। जनता को सही तथ्य बताने के लिये ऐसा चैनल बनाया जाना जरूरी है। इस चैनल के लिये एक ऐंकर रखने का बजट भी चर्चा में आया। आम सहमती से प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

बैठक में शामिल होने वाले समतावादी पाराशर नारायण, योगेन्द्र सिंह, दुर्गादास, योगेश्वर शर्मा, बालमुकुन्द शर्मा, सुरेन्द्र सिंह राठौड, सचिन शर्मा, निर्मल कौशिक, जितेन्द्र और प्रदीप सिंह थे।

अपील "समता प्रकाश" स्मारिका हेतु विज्ञापन

समता आन्दोलन भारत का सबसे बडा समतावादी गैर-राजनेतिक संगठन है, जो एक दशक से भारतीय संविधान के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करवाने, सभी नागरिकों को समानता का मूल अधिकार दिलाने,जातिवाद-सम्प्रदायवाद, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों से देश को मुक्त कराने के लिए सभी संवैधानिक प्रयासों को अपनाते हुये प्रजातांत्रिक रूप से क्रियाशील है। समता आन्दोलन न केवल राजस्थान अपितु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडू आदि प्रदेशों में भी जाति आधारित व्यवस्था से अलग समता मूलक समाज की संरचना के लिए काम कर रहा है।

समता आन्दोलन समिति अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में अपनी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' का प्रकाशन करने जा रही है। इस स्मारिका में आरक्षण एवं समतावादी अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी, न्यायिक निर्णयों की जानकारी तथा समता आन्दोलन की 11 वर्षों की गतिविधियों की जानकारी समाहित की जावेगी। इस स्मारिका को राजस्थान सहित कुल 10 राज्यों में 5000 से अधिक प्रतिष्ठित एवं सम्भ्रांत व्यक्तियों को भेजा जावेगा। इस स्मारिका को समता आन्दोलन की वेबसाइट जिसको देखने वालों की संख्या (viewership) 5.00 लाख से अधिक हो चुकी है, पर भी स्थाई रूप से अपलोड किया जावेगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' के लिए अपनी फर्म/ कम्पनी/संस्थान का विज्ञापन देने का अनुग्रह करे। विज्ञापन दरें इस प्रकार है:-

1	मुख्य कवर का पृष्ठ भाग एवं अन्तिम कवर का बाह्य भागरू.	2,50,000/-
2	अन्तिम कवर का अन्दरूनी भाग रू.	1,50,000/-
3	स्मारिका के अन्दर चिकना पूरा पृष्ठ रू.	1,00,000/-
4	स्मारिका के अन्दर चिकना आधा पृष्ठ रू.	50,000/-
5	स्मारिका के अन्दर चिकना चौथाई पृष्ठ रू.	30,000/-
6	स्मारिका के अन्दर सामान्य पूरा पृष्ठ रू.	50,000/-
7	स्मारिका के अन्दर सामान्य आधा पृष्ठ रू.	25,000/-
8	स्मारिका के अन्दर सामान्य चौथाई पृष्ठ रू.	15,000/-

स्मारिका का आकार ए-4 निर्धारित किया गया है

विज्ञापन एवं विज्ञापन सामग्री के प्रारूप हेतु हमारे प्रान्तीय कार्यालय ''जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर जयपुर या पी.एन.शर्मा, जयपुर मोबाइल नम्बर 9460385722, कैप्टन गुरविन्दर सिंह, नई दिल्ली मो.न. 9999555726, धर्मवीर सिंह, हरियाणा मो.न. 9355084877, गिरजेश शर्मा, उत्तर प्रदेश 9412445629, धीरज जे. पंचाल, गुजरात मो.न. 9428600409, अशोक शर्मा, मध्यप्रदेश मो.न. 7552576022, वैंकटरमण कृष्णमूर्ति, कर्नाटक मो.न.9538966339, श्रीराम पंसारी, चण्डीगढ मो.न. 9876127663, सी.एम.डिमरी, उत्तराखण्ड मो.न. 9411103390, संजीव शुक्ला, मुम्बई मो.न. 9821390321 या ई-मेल sam-taprakash2019@gmail. com पर सम्पर्क कर सकते है। **कृपया चैक/ड्राफ्ट समता आन्दोलन समिति के नाम बनवायें।**

हमें विश्वास है कि आपका दिया हुआ विज्ञापन इस राष्ट्रवादी समता आन्दोलन द्वारा चलाये जा रहे समता मूलक समाज की संरचना के सफल प्रयासों में सहयोग का कार्य करेगा।

गुजरात ने ई.डब्ल्यू.एस. सर्टिफिकेट की वैद्यता दो साल और बढाई

अहमदाबाद। गत वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा संसद में संविधान संशोधन करके आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को जो 10 प्रतिशत आरक्षण दिया था। उसे पूरे देश में सबसे पहले गुजरात ने अपने यहां लागू किया। अब गुजरात ने एक बार और पहल करते हुये ई.डब्ल्यू.एस. सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया को अगले दो साल तक बढा कर कुल तीन साल कर दिया है।

प्रदेश के विधि विभाग ने इस विषय में आदेश भी जारी कर दिये है। याद रहे गुजरात सरकार ने ई.डब्ल्यू.एस. को लागू करते समय मेडिकल, इंजिनियरिंग एवं अन्य प्रोफेशनल कोर्स में 25 प्रतिशत सीटों की संख्या बढा दी थी। ताकि पात्र लोगों को लाभ मिल सके। हाल के नये नोटिफिकेशन से यह माना जा रहा है कि लगभग 50 हजार छात्रों और सरकारी कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा।

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in